

भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ 04.01.2015
15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	सहमत।
16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	उप वन संरक्षक द्वारा दी गई सूचना के अनुरूप जनहित में स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

दिनांक:- 13.01.2015

स्थान:- अल्मोड़ा

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 04.01.2015 को प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा के साथ जनपद अल्मोड़ा में चौखुटिया-मासी मोटर मार्ग के कि०मी० 56 से भटकोट से ढौन रीठाचौरी तक कुल 4.250 लम्बाई के मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित हो रही 1.47 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि में खड़े बॉज वृक्षों का निरीक्षण किया गया। प्रस्ताव के अनुरूप विभिन्न ब्यास क्षेत्रों के कुल 53 बॉज वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। क्षेत्र की स्थिति एवं प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप प्रस्तावित रेखाकन में न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होने की जानकारी प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी गयी जो कि क्षेत्र की स्थिति के अनुरूप है।

इस मोटर मार्ग निर्माण से कुल 3 ग्रामों के कुल 533 परिवार लाभान्वित होंगे इस प्रकार यह प्रस्ताव जनहित में है अतः संस्तुति की जाती है।

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

